

आदेश

प्रथम पक्षा के द्वारा समर्पित आवेदन तथा द्वितीय पक्षा के द्वारा समर्पित कारणपत्र एवं राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरान्त यह देखा गया है कि मौजा-जामतारा खानावे-

103 खाता सं.-13 प्लॉट सं.-2849 खाता-

जमीन खतियानी श्रेणी किसम की भूमि है। जिसका खतियान खेमन मिर्चा के लौसट मिर्चा पेशाब निर्मल मिर्चा के नाम से दर्ज पाया गया है।

प्रथम पक्षा के द्वारा निबंधित दस्तावेज के माध्यम से एक प्लॉट में 12½ प्रॉ. भूमि क्रय किया गया है। यह भूमि बेरसी-डुमरी के

मार्ग पर है। शौट इस भूमि में पूर्व से भी रास्ते के लिए जमीन अधिग्रहण की गई है। जिसके अंदर में कार्यपात्रक कमिश्नर रोड डिविजन, बीकानेर से किसी प्रकार का अधिग्रहण संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुआ।

अतः एक पुल का निर्माण किया गया तो भी इस प्लॉट में जमीन अधिग्रहण की गई है। इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं है कि क्या

की एक खाता सं.-13 प्लॉट सं.-2849 खाता 52 प्रॉ. में से वास्तव में कितनी जमीन

का रोड निर्माण में अविश्रुति की गई है तथा
 अविश्रुति के पश्चात जो जमीन शेष बचती
 है उसी को विक्री किया जाना था। परन्तु
 एक हिस्सेदार ने रकबा - 5250 के मध्ये
 2500 जमीन का विक्री किया एवं दूसरे हिस्सेदार
 ने 24300 जमीन बेचा जबकी पूर्व से
 अविश्रुति के पश्चात रकबा - 49300 जमीन
 नहीं हो सकता है। इस आधार पर विक्रीकर्ता
 को अविश्रुति जमीन को भी विक्री किया,
 परन्तु मोर्के पर 12½ जमीन खरीदने वाले
 दोनो पक्षों जिन्हीने मेवलाख सहती कद
 काली सहती से जमीन खरीदा उसकी एक
 की चौड़ाई 43 फिट है और दूसरे की
 चौड़ाई 42.5 फिट है जो जमीन को
 प्रतिवेदन से स्पष्ट है।

अतः यह मामला कुल जमीन से
 अधिक जमीन का बनता है और प्रथम पक्ष
 ने 43 फिट चौड़ाई के आकारा 10 फिट लम्बा
 है उसकी मांग करते हैं इस प्रकार 2500 जमीन
 से से 12½ जमीन खरीदने वाले को माल ⁴²⁵ 12½ जमीन
 मिलना है जबकी उनके द्वारा कोई आपत्ति नहीं
 की गई है और आवेदक 43 फिट को
 आकारा 10 फिट और मांग करते हैं

इस प्रकार इसका चीड़ाई 53 फिट हो जाता है।

ऐसी प्रस्थिति में यह मामला एतदर्थ दृष्टव्य है संबंधित प्रतीत होता है। आवेदनक इस संबंध में सक्षम न्यायालय में अपना आवेदन कर सकते हैं।
निष्कापित एवं संशोधित।

कै. गं. २३
अं. अं.
दुमरी

कै. गं. २३
अं. अं.
दुमरी।